28.10.2010

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

परिक्षेत्र देवीपाटन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) बी0 के अनुसार देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है –

1. पुलिस बल के संगठन कार्य तथा कर्तव्यों का विवरण

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 2 के अनुसार:– उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं वे पुलिस की निपुणता के लिए अपने परिक्षेत्र में उत्तरदायी होते हैं। उन्हें यह देखना होता है कि जिला प्रशासन का उचित स्तर बनाये रखा जा रहा है। उनको अपने अधीनस्थ पुलिस अधीक्षकों से निकट सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए और उन्हें सहायता एवं परामर्श देने के साथ-साथ उनपर नियंत्रण रखा जाना चाहिए और इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। उन्हे कम से कम वर्ष में एक बार प्रत्येक जिले के अधीक्षकों के कार्यो का पर्यवेक्षण करना चाहिए।

उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन के पैरा 3 के अनुसार:– उपमहानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र में अपराधों के साधारण पर्यवेक्षण के लिए दायित्वाधीन हैं। उन्हे यह देखना चाहिए कि गम्भीर अपराध को रोकने के लिए उचित उपाय किये गये हैं और जिलों का आपस में सहयोग प्रभावी है। इन उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ उन्हें महानिरीक्षक के प्रारूप संख्या 138 के अधीन (1) डकैती (2) हत्या (3) लूट (4) विष प्रयोग (5) प्रकीर्ण मामलों का रजिस्टर रखना चाहिए। वह अपराध की पाक्षिक रिपोर्ट को महानिरीक्षक को पेश करेगें, जिसमें कि उनके रेन्ज से सम्बंधित कोई भी ऐसा मामला होगा, जिसे कि उनके विचार में महानिरीक्षक को सूचित करना चाहिए। प्रत्येक मामले की संक्षिप्त विशिष्टियों को देते हुए उन्हें डकैती के कथनों को संलग्न कराना चाहिए। असामान्य मामलों में अपराध विशेष की रिपोर्ट को वह महानिरीक्षक को भेजेगें। उपमहानिरीक्षक के लिए जो भी मामले आवश्यक प्रकृति के हों तथा जिसमें सरकार को तुरन्त सूचना अपेक्षित हो जैसे गम्भीर शान्ति भंग, यूरोप और भारतियों के मध्य टकराव तथा राजनैतिक मामलों के महत्वपूर्ण विषयों को पुलिस अधीक्षक द्वारा महानिरीक्षक को सूचना तत्काल दी जायेगी किन्तु यथा सम्भव उपमहानिरीक्षक वह माध्यम होगें, जिसके द्वारा महानिरीक्षक सूचना प्राप्त करेगें। जिले के पुलिस प्रशासन को वार्षिक प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात उपमहानिरीक्षक को अपने सम्पूर्ण परिक्षेत्र के लिए समस्त विषयों पर टिप्पणियों सहित, जिनका उल्लेख किया जाना अपेक्षित है एक पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करके महानिरीक्षक को भेजी जायेगी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र में पुलिस की शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिए ट्रेनिंग केन्द्रों में पर्यवेक्षण और सामन्जस्य हेतु उत्तरदायी होंगे। इसका वह समय-समय पर निरीक्षण करेगें। इसके अतिरिक्त वह परिचित प्रशिक्षण की नवीनतम रीतियों से सम्पर्क में रहेगें तथा उन्हे प्रयोग के तौर पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में अंगीकृत करेगें।

1.1 परिक्षेत्र में पुलिस का संगठनः–

देवीपाटन परिक्षेत्र में पुलिस का संगठन निम्नलिखित प्रकार है:–

पुलिस उपमहानिरीक्षक	पुलिस अधीक्षक
पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र	पुलिस अधीक्षक, गोण्डा
	पुलिस अधीक्षक, बलरामपुर
	पुलिस अधीक्षक, बहराइच
	पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती

1.2 परिक्षेत्र में नियुक्त अन्य अधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षणः–

क0 सं0	पद का नाम	कार्य	पर्यवेक्षण
1	सहायक रेडियो अधिकारी	परिक्षेत्र में संचार व्यवस्था सूचारू रूप से संचालित करना व अधीनस्थों पर नियंत्रण बनाये रखना	पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र

2. **पुलिस उपमहानिरीक्षक की शाक्तियॉ एवं कर्तव्यः–**

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस उपमहानिरीक्षक के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं।

2.1 पुलिस अधिनियमः–

धारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियॉ एवं दायित्व
7	संविधान के अनुच्छेद 311 के उपबन्धों के और ऐसे नियमों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के अधीन बनाये जायं, अधीन रहते पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक गण एवं सहायक महानिरीक्षक गण और जिला पुलिस अधीक्षक गण किसी समय अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी अधिकारी को पदच्युत, निलम्बित या अवनत कर सकेगें, जिसे वे अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल या उपेक्षावान पायें या जो उस पद के लिए अयोग्य समझे जायं, या अधीनस्थ पंक्तियों के ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को जो अपने कर्तव्य का अनवधानता या उपेक्षापूर्ण रीति से निर्वहन करता है या जो सेवक गण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं को अयोग्य कर लेता है।

2.2 पुलिस रेगुलेशनः–

प्रस्तर	पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियॉ एवं दायित्व
391	परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक अस्थायी रूप से अपने एक जिले के पुलिस बल को अन्य जिलों के निरीक्षक के उपर की पंक्ति के न होने वाले पुलिस अधिकारियों को हटाकर डकैती के विरूद्ध अभियान चलाने या मेले जैसे प्रयोजनो के लिए बृद्धि करने के लिए सक्षम हैं। अतिरिक्त पुलिस के लिए पुलिस अधीक्षक को परिक्षेत्र के उपमहानिरीक्षक को आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। वार्षिक मेला और समारोहों के लिए नियतकालिक अपेक्षाओं के लिए, जिनके लिए साधारतया भारी संख्या में बलों को नियोजित किया जाता है, पर्याप्त समय सूचना दी जानी चाहिए।
434	निरीक्षकों की पदोन्नति वेतन बृद्धि के समयमान की स्थिति द्वारा विनियमित होती है। मूल नियम 25 के अधीन दक्षता अवरोध से परे बृद्धियों की मंजूरी देने के लिए सशक्त प्राधिकारी उपमहानिरीक्षक है। वार्षिक बृद्धियों के रोकने का आदेश मूल नियम 24 के अधीन अधीक्षक द्वारा दिया जा सकेगा।
435	रिजर्व निरीक्षक की पंक्ति के प्रशिक्षण के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा संस्तुति किये गये उप निरीक्षको का प्रथमतः परीक्षण तथा साक्षात्कार उनके उपमहानिरीक्षक द्वारा किया जायेगा।
439(1)	अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरे के अनुक्रम में परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक यह अभिनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठायेगें कि सभी उप निरीक्षकों में जो निरीक्षक पद पर स्थाई या अस्थायी रूप से प्रोन्नति के लिए अनुमोदित किये गये हैं, वर्ष के दौरान किस रीति से कार्य किया है तथा उनकी सामान्य ख्याति क्या है ? उस जिले से सम्बंधित मजिस्ट्रट, पुलिस अधीक्षक से पूछताछ करते हुए उनसे उन थानों का निरीक्षण करते हुए, जहॉ वे तैनात हों, जब सम्भव हों व्यक्तिगत साक्षात्कार करके कदम उठायेगें। प्रत्येक रेंज के उपमहानिरीक्षक प्रत्येक अधिकारी के बारे में स्पष्ट रूप से यह कथन करते हुए अपनी राय अभिलिखित करेंगे कि क्या वह इस बात की संस्तुति करते हैं कि उसका नाम अनुमोदित सूची में बना रहे या उसे हटा दिया जाय।
439(4)	जब कभी उपमहानिरीक्षक अनुमोदित सूची से किसी भी नाम को हटाने की सिफारिस करें तो प्रश्नगत अधिकारी की पदोन्नति पर तबतक विचार न किया जाय जबतक समिति न बुलायी जाय तथा सिफारिस पर कोई कार्यवाही करने का निर्णय न लें।
442	जब किसी अधिकारी की प्रोन्नति के लिए उपमहानिरीक्षक की सहमति अपेक्षित हो तो उस अधिकारी तथा किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो, चरित्र पत्रावलियॉ, अधिक्रमण का कारण देते हुए टीपों सहित उपमानिरीक्षक के पास भेजी जायेगी।
445	उ0नि0 सिविल पुलिस पाठ्यक्रम में प्रेवेशार्थ आरक्षियों तथा मुख्या आरक्षियों के चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षायें सभी जिलों में एक पूर्व निर्धारित तिथि को मुख्यालय द्वारा किये जाने वाले प्रबन्ध के अधीन संचालित की जाती है। उत्तर पुस्तिकायें सम्बंधित पुलिस उपमहानिरीक्षकों को अग्रेसित की जाती है, जो उनकी जॉच 3 पुलिस अधीक्षकों के एक बोर्ड से करायेगें। तदोपरान्त एक बोर्ड जो परिक्षेत्रीय उपमहानिरीक्षक द्वारा नामजद पी0ए0सी0 के एक कमाण्डेन्ट एवं सम्बंधित जिले के पुलिस अधीक्षक से गठित होगा, प्रत्येक जिले का दौरा करके उन सभी पात्र अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों की सम्वीक्षा करगें जो परीक्षा में अहर्य हुए हैं। इस आशय से सामान्य ड्रिल व शारिरीक परीक्षण की परीक्षा भी की जायेगी। इस प्रकार प्रारम्भिक परीक्षा

	चरित्र पंजी की सम्वीक्षा तथा शारिरीक परीक्षा के फलस्वरूप चयनित अभ्यर्थी अंतिम चयन हेतु परिक्षेत्र के नामजद व्यक्ति माने जाते हैं। परिक्षेत्र के नामित अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा केन्द्रीय रूप से तैयार किये गये प्रश्नपत्रों के आधार पर होती है, जिनका मुल्यांकन पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षकों का बोर्ड गठित करके कराया जाता है।
449	सवार पुलिस के शिवाय मुख्य आरक्षियों के पद पर प्रोन्नतियॉ उपमहानिरीक्षक के सामान्य नियंत्रण के अधीन पुलिस अधीक्षक द्वारा की जायेगी।
464	पारितोषिक में प्राप्त अनुदान प्रान्तीय होता है किन्तु रिजर्व के लिए उपबन्ध कर दिये जाने के पश्चात यह महानिरीक्षक द्वारा विभाजित तथा उपमहानिरीक्षक द्वारा जो कि विशेष मामलों में बड़े इनामों में देने के लिए धन रक्षित रखते जिलों और अनुभागों में उसे आवंटित कर देते हैं। उपमहानिरीक्षक बचत पारितोषिक का पुनर्वियोजन करने के लिए प्राधिकृत है।
465	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी एवं दोषसिद्धि हेतु 12,000/रू0 की धनराशि स्वीकृत की जा सकती है।
479(ग)	उपमहानिरीक्षक अपने अधीनस्थ अस्थायी या स्थायी निरीक्षकों की पंक्ति के तथा उनके नीचे की पंक्ति के सभी अधिकारियों को दण्डित कर सकेगें।
490(9)	ऐसे सभी मामलों में जिसमें पुलिस अधीक्षक, निरीक्षक या उपनिरीक्षक की पदच्युति या उसके सेवा हटाये जाने का प्रस्ताव करें, उस मामले को अंतिम आदेश हेतु जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उपमहानिरीक्षक को अग्रसित करेगें।
500(ख)	यदि अधिकारी, जिसके आचरण की निन्दा की गयी है, पुलिस अधीक्षक स्तर का हो तो चॉच रेन्ज के उपमहानिरीक्षक द्वारा की जायेगी।
508(ग)	पुलिस उपमहानिरीक्षक को प्रत्येक पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्ध वेतन बृद्धि या प्रोन्नति रोकने का कोई यादेश अध्याय 30 के अधीन पारित किया जाय, ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है यदि वह आदेश पुलिस अधीक्षक का हो। यह अपील आदेश की प्राप्ति के 90 दिवस के अन्दर होनी चाहिए।
520(5)	पुलिस उपमहानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अन्दर किसी भी अराजपत्रित प्राधिकारी का स्थानान्तरण कर सकते हैं। पुलिस उपमहानिरीक्षक सभी निरीक्षकों और सिपाहियों को अपने सम्भाग में स्थानान्तरित कर सकते हैं।
525	पुलिस उपमहानिरीक्षक सिविल पुलिस के उन सिपाहियों की जिनकी सेवा 2 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष से कम की हो अथवा सशस्त्र पुलिस बल के सिपाहियों की, जिनकी सेवा 2 वर्ष से कम की न हो बल की किसी भी शाखा में स्थानान्तरित किय जा सकता है।
537	उपमहानिरीक्षक अलग-अलग मामलों में परिवीक्षाधीन किसी अभ्यर्थी की परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष से अनधिक किसी अवधि के लिए विस्तार कर सकेगें।

2.3 दण्ड प्रकिया संहिता:-

धारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियॉ एवं दायित्व
36	वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करती है।

2.4 उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की दण्ड एवं अपील नियमावली 1991

धारा	पुलिस उपमहानिरीक्षक की शक्तियॉ एवं दायित्व
20(1)	ऐसा पुलिस अधिकारी जिसके विरूद्ध नियम 4 के उप नियम(1) के खण्ड(क) के उपखण्ड (1) से (3) और खण्ड ख उप खण्ड (1) से (4) में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित किया जाय तो ऐसे दण्ड के आदेश के विरूद्ध उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र को अपील कर सकता है। यदि मूल आदेश पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उप नियम(4) के अधीन सशक्त अधिकारियों का हो।

2.5 संसद व विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य अधिनियमों और शासनादेशों द्वारा प्रदत्त शाक्तियॉ तथा उनसे अपेक्षित कर्तव्य:-

संसद व विधान मण्डल द्वारा समय-समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय-समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी उपमहानिरीक्षक को दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर उनके द्वारा अपेक्षित कार्यो का सम्पादन किया जाता है।

2.6 पुलिस उपमहानिरीक्षक के अपेक्षित कर्तव्य:-

1. अपने कार्य क्षेत्र में पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करना।
2. अपने कार्य क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम तथा उसपर नियंत्रण और अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों एवं संगठित गिरोहों के विरूद्ध डेटावेश तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करना।
3. अपने कार्य क्षेत्र में घटित समस्त स्पेशल रिपोर्ट अपराधों की विवेचनाओं की गहन समीक्षा करना और महत्वपूर्ण घटनास्थलों का निरीक्षण करना।
4. एवं अपने कार्यक्षेत्र में साम्प्रदायिक तनाव के दौरान पुलिस के कार्य पर गहन पर्यवेक्षण करना अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन करना।
5. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों की आन्तरिक सुरक्षा योजनाओं को अद्यावधिक कराकर उनपर आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
6. कार्य उन आन्दोलनों में जिनमें शान्ति भंग हो अथवा भंग होने की आशंका हो, के विषय में प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
7. समाज के दलित एवं दुर्बल वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस की कार्य प्रणाली का गहन पर्यवेक्षण करना एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करवाना।
8. सप्ताह में प्रत्येक कार्य दिवस में प्रात: 10.00 बजे से 12.00 बजे तक अपने कार्यालय में जनता की शिकायतों को सुनने उनपर कार्यवाही सुनिश्चित करवाने हेतु उपलब्ध रहाना। किसी अपरिहार्य स्थिति में अनुपालन के कारण किसी अधिकारी को इस कार्य हेतु नामित करना।

9. अपने कार्य क्षेत्र में व्यापक भ्रमण करना एवं समय-समय पर सम्वेदनशील स्थानों पर जनता की समस्याओं को सुनने, उनके निदान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने एवं विशेष अपराधों की समीक्षा हेतु रात्रि हाल्ट करना।

10. अपने अधीनस्थ समस्त जनपदों के पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन्स आदि का स्थायी आदेशों के अनुसार निरीक्षण करना।

11. पुलिस बल में अनुशासन बनाये रखना तथा उसमें सुधार लाना।

12. नियंत्रणाधीन पुलिस कर्मियों के कल्याण की ओर उपर्युक्त ध्यान देना।

13. शासन एवं पुलिस महानिदेश के द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार निर्धारित सभी प्रशासनीय एवं वित्तीय दायित्वों पर कार्यवाही सुनिश्चित कराना।

14. ऐसे अन्य कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व जो समय-समय पर शासन एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा सौंपे जॉय उसका निर्वहन करना।

15. पुलिस अधिकारियों/कर्मचारी में जनता के प्रति व्यवहार में आशातीत सुधार लाना।

16. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु केस में दिये गये प्रत्येक निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करवाना तथा प्रत्येक आकस्मिक निरीक्षण में जो क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा स्वयं द्वारा किये जांय, में अनुपालन सम्बंधी निरीक्षण नोट अंकित करना।

17. उपलब्ध पी0ए0सी0 का आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के जनपदों को अस्थायी आवंटन।

18. परिक्षेत्र के किसी जनपद में शान्ति व कानून व्यस्था बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार परिक्षेत्र के अन्य जनपदों से पुलिस बल उपलब्ध कराना।

19. अपराध नियंत्रण व कानून व्यस्था बनाये रखने हेतु परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य व अन्य परिक्षेत्रों से परस्पर समन्वय बनाये रखना।

20. पुलिस मुख्यालय से कुछ शीर्षकों अन्तर्गत प्राप्त अनुदान का परिक्षेत्र के जनपदों के मध्य उपयुक्त आवंटन।

21. जनदीय पुलिस का आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन।

22. परिक्षेत्रीय पुलिस बल का निर्धारित माप दण्डों के अनुरूप स्थानान्तरण व प्रोन्नति सम्बंधित कार्य।

23. शासन व पुलिस महानिदेशक मुख्यालय के निर्देशों का जनपदों में अनुपालन सुनिश्चित कराना।

2.7 पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा जनपदों में विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं के किये जाने वाले निरीक्षणों का विवरण:-

शीर्षक शाखा	समय
शीर्षक प्रथम - पत्र व्यवहार शाखा	वार्षिक जनवरी-मार्च
शीर्षक द्वितीय - आकिक शाखा	उपरोक्त
शीर्षक तृतीय - पुलिस लाइन्स	उपरोक्त
शीर्षक चतुर्थ - अभियोजन शाखा	उपरोक्त
शीर्षक पंचम - अपराध	उपरोक्त

शीर्षक षष्टम – जनपद का सामान्य पुलिस प्रशासन	उपरोक्त
शीर्षक षष्टम1 –जनपदों में नियुक्त अधिकारियों के सम्बंध में टिप्पणी	उपरोक्त
शीर्षक षष्टम 3 –जनपदों में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण	उपरोक्त
शीर्षक षष्टम 4– अधिकारियों द्वारा कृत निरीक्षणों की गुणवत्ता व अनुपालन की समीक्षा	उपरोक्त
शीर्षक षष्टम –5 अधिाकारियों के दौरों की समीक्षा	उपरोक्त
शीर्षक षष्टम –6 थानाध्यक्षों की मीटिंग	वर्ष में दो बार (जनवरी–जून) (जुलाई रिसम्बर)
शीर्षक षष्टम– 7 जनप्रतिनिधियों से भेंट	उपरोक्त
शीर्षक षष्टम–8 पुलिस पेंशनर्स बोर्ड	वार्षिक वर्ष में एक ही मीटिंग की जाय जिसमें आई0जी0, डी0आई0जी व पुलिस अधीक्षक मौजूद हों
शीर्षक सप्तम– भवन	वार्षिक(अप्रैल–अक्टूबर)
शीर्षक अष्टम	उपरोक्त
अष्टम 1–महिला प्रकोष्ठ	उपरोक्त
अष्टम 2–विशेष जॉच प्रकोष्ठ	उपरोक्त
अष्टम 3–जनपद अपराध अभिलेख व्यूरो (डी0सी0आर0बी0)	उपरोक्त
अष्टम 4–फील्ड यूनिट जनपद	उपरोक्त
अष्टम 5(1) जिला नियंत्रण कक्ष	उपरोक्त
अष्टम 5(2) नगर नियंत्रण कक्ष	उपरोक्त
शीर्षक नवम–स्थानीय अभिसूचना इकाई	जनवरी–जून– 2 थाने
शीर्षक दशम–थानों का निरीक्षण	जुलाई–दिसम्बर–2 थाने

3. <u>निर्णय लेने की प्रकिया की कार्यवाही के पर्यवेक्षण व उत्तरदायित्व के स्तर</u>

3.1 शिकायतों में निस्तरण की प्रकिया

3.1.1 पुलिस उपमहानिरीक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रकिया:–

क0 सं0	कार्य	जिसके द्वारा कार्यवाही होगी	कार्यवाही की समयावधि
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा सम्बंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	अविलम्ब

2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय के पुलिस जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा	1 दिवस
3	सम्बंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	2 दिवस में
4	सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जॉच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	7 दिवस में
5	सम्बंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा जॉच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	सम्बंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा	1 दिवस में
6	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा जॉच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अंतिम आदेश करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	1 दिवस में
7	प्रार्थना पत्र मय जॉच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना	जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा	1 दिवस में
8	जॉच रिपोर्ट का रख रखाव	जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा	1 वर्ष में

3.1.2 पुलिस उपमहानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की प्रकिया:-

क0 सं0	**कार्य**	**किसके द्वारा कार्यवाही होगी**	**कार्यवाही की समयावधि**
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय के प्रधान लिपिक द्वारा उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	प्रधान लिपिक	अविलम्ब
2	प्रधान लिपिक द्वारा लिफाफे को खोला जाना	प्रधाना लिपिक	अविलम्ब
3	सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु आदेशित करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	1 दिवस में
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व सम्बंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	प्रधान लिपिक द्वारा	अविलम्ब

5	सम्बंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक को जॉच एवं आवश्यक कार्यवाही कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को प्रार्थना पत्र भेजना	पुलिस अधीक्षक द्वारा	2 दिवस में
6	सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जॉच करना व आवश्यक कार्यवाही कर रिपोर्ट देना	सम्बंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी द्वारा	15 दिवस में
7	सम्बंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा जॉच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर पुलिस उपमहानिरीक्षक को रिपोर्ट प्रेषित करना	सम्बंधित पुलिस अधीक्षक द्वारा	1 दिवस में
8	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा जॉच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र को दाखिल दफ्तर करने हेतु अंतिम आदेश करना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	1 दिवस में
9	प्रार्थना पत्र मय जॉच रिपोर्ट के दाखिल दफ्तर करना	प्रधान लिपिक द्वारा	1 दिवस में
10	जॉच रिपोर्ट का रख-रखाव	प्रधान लिपिक द्वारा	1 वर्ष तक

3.2 परिक्षेत्र स्तर पर जनपदों के विशेष अपराधों का पर्यवेक्षणः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय में सम्बंधित जनपद द्वारा विशेष अपराध आख्या का प्राप्त होना	सम्बंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	1 दिवस में
पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय में विशेष अपराध पत्रावली बनाना	वाचक पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	1 दिवस में
पर्यवेक्षण आख्या का प्राप्त होना	सम्बंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	10 दिसस में
क्रमागत आख्या का प्राप्त होना	सम्बंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	प्रथम आख्या 10 दिवस में तथा शेष 1 माह के अन्तराल में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर आपत्तियों का प्रेषित किया जाना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	7 दिवस में
क्रमागत आख्या में प्राप्त कमियों पर आपत्तियों का निराकरण	सम्बंधित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा	15 दिवस में
कार्यवाही पूर्ण होने पर अनुमोदनोपरान्त पत्रावली बन्द किया जाना	पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा	

4. कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाये जाने वाला मानदण्डः-

4.1 परिक्षेत्र स्तर पर विभिन्न प्रकार की जॉचों के लिए निर्धारित किये गये मापदण्ड:-

क्र0सं0	कार्य	कार्यवाही हेतु निर्धारित मापदण्ड
1	परिक्षेत्र स्तर पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जॉच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस
2	पुलिस उपमहानिरीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जॉच करके आवश्यक कार्यवाही कराना	15 दिवस

.2 पुलिस आचरण के सिद्धान्त:-

1. भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिये गये पूर्ण सम्मान करना।
2. बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढता व निष्पक्षता से निस्पादन करना।
3. पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
4. कानून का पालन कराने अथव व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहॉ तक सम्भव हो समझाने-बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
5. पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
6. पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जन साधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
7. प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
8. पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सद्भाव हृदय में रखना।
9. प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
10. हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्म गौरव व साहस से जन साधारण का विश्वास जीतना।
11. पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व इमानदारी बनाये रखना।
12. पुलिस जन को उच्च कोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।

13. सर्व धर्म सम्भाव एवं लोकतांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सौहार्द व भाई-चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत् प्रयत्नशील रहना।

5. कर्तव्यों के निर्माण हेतु अपनाये जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, निर्देशिका व अभिलेखः-

क0सं0	**अधिनियम, नियम, रेगुलेशन का नाम**
1.	पुलिस अधिनियम 1861
2.	भारतीय दण्ड संहिता 1861
3.	दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
4.	उ0प्र0 पुलिस रेगुलेशन 1861
5.	उ0प्र0 पुलिस कार्यालय मैनुअल
6.	साक्ष्य अधिनियम 1872
7.	उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
8.	उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
9.	वित्तीय हस्त पुस्तिका
10.	समय-समय पर निर्गत शासनादेश
11.	उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत्समय प्रचलित अन्य विधियॉ भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

6. विभाग द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों की श्रेणीः-

पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र कार्यालय में निम्नलिखित अभिलेख रखे जाते हैः-

1. सेवा सम्बन्धी अभिलेख
2. विशेष अपराध पत्रावलियॉ
3. कानून व्यवस्था एवं आपराधिक स्थिति की समीक्षा सम्बन्धी पत्रावलियॉ
4. वेतन, भत्ते, आकस्मिकता निधि एवं बजट सम्बंधी अभिलेख
5. शिकायत निस्तारण सम्बंधी अभिलेख
6. गार्ड फाईल
7. भवन मरम्मत सम्बन्धी अभिलेख
8. परिक्षेत्र में पी0ए0सी0 आबंटन सम्बन्धी अभिलेख
9. पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी अभिलेख

7. जनता की परामर्श दात्री समितियॉ जो संगठन में अन्तर्निहित है

शून्य

8. बोर्ड परिषद समितियॉ और अन्य निकाय जो संगठन के भाग या सलाह के लिए मौजूद हैं।

पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

9. अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका:-

पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र कार्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के टेलीफोन नम्बर

पद नाम अधिकारी गण	आवास टे0न0	कार्यालय न0	सीयूजी0 मो0न0
पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र	05262 230777	05262230777	9454400207
गोपनीय सहायक		05262230777	9838602569
प्रधान लिपिक		05262230777	9415716036
जन सम्पर्क अधिकारी		05262230777	9450426436
वाचक पुलिस उपमहानिरीक्षक		05262230777	9984120060

10. अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/परितोषिक:-

क0सं0	पद	वेतनमान	मूल वेतन
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा	37400-6700-8900	60930
2	गोपनीय सहायक	-	20540
3	प्रधान लिपिक	-	22890
4	जन सम्पर्क अधिकारी	-	18650
5	वाचक पुलिस उपमहानिरीक्षक	-	22370

11. बजट:-

क0 सं0	लेखा शीर्षक	चालू वित्तीय वर्ष 2010-2011	
		अनुदान	व्यय
1	वेतन	1941000	1244108
2	महगाई भत्ता	525000	464333

3	अन्य भत्ता	65000	35360
4	यात्रा व्यय	34000	5115
5	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	49000	24252
6	कार्यालय व्यय,अन्य छूद्र आकस्मिक व्यय	64000	14079
7	फर्नीचर का क्रय एवं मरम्मत	11000	–
8	विद्युत देय	60000	–
9	लेखन सामग्री	4000	2312
10	पुरस्कार	–	–
11	टेलीफोन	84000	33583
12	कम्प्यूटर	4000	3630
13	चिकित्सा व्यय	36091	33979
14	एस0ए0एफ0	10000	3895

12. सबसिडी कार्यक्रम के निस्पादन का ढंगः-

वर्तमान में विभाग में कोई उपदान कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. संगठन द्वारा प्रदत्त छूट, अधिकार पत्र तथा अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरणः-

-: शून्य :-

14. इलेक्ट्रानिक प्रारूप में उपलब्ध करायी गयी सूचनाः-

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के सम्बन्ध में अवगत कराया जायेगा।

15. अधिनियमान्तर्गत नागरिकों को प्रदत्त सुविधायें:-

क0 सं0	कार्य	कार्यवाही किसके स्तर से	समयावधि
1	सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त किया जाना	पुलिस उपमहानिरीक्षक/वाचक पुलिस उपमहानिरीक्षक	प्रातः 10.00 से शाम 17.00 बजे तक (राजकीय अवकाश को छोडकर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा

			जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में 48 घंटे
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि 10/रू0 प्रथम घंट, प्रथम घंटा के पश्चात 5/रू0 प्रति 15 मिनट	पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय की आंकिक शाखा में नकद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा करायी जाने हेतु राशि का विवरण (10 रू0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी रेखा के निचे के व्यक्तियों को नि:शुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250/रू0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रू0 से अनधिक) भी देय होगा।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम:-

उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की गयी है।

क0 सं0	**जनसूचना अधिकारी का नाम व पदनाम**	**सहायक जनसूचना अधिकारी का नाम व पदनाम**	**अपीलीय अधिकारी का पदनाम**
1	पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र (9454400207)	वाचक पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा	अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ

17. अन्य कोई विहित सूचना:-

-: शून्य :-